[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 65/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 सितंबर, 2020

सा.का.नि..........(अ)-सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से नवंबर, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा नवंबर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी ।"।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/07/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सं. 55/2020-केंद्रीय कर, तारीख 27 जून 2020 में, संख्यांक सा.का.नि. 416(अ), तारीख 27 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।